# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

**अनुमति वाद संख्या :–412 / 2018–19**

**(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)**

**चमर मुण्डा – विक्रेता**

**मसीह मुण्डा – क्रेता**

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|---|---|---|
| 15.07.19 | **आदेश** | |

आवेदक चमर मुण्डा पिता स्व0 कड़िया मुण्डा ग्राम–एरेन्डा, पोस्ट–बिरहू, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने मसीह मुण्डा पिता सनिका मुण्डा ग्राम–चलागी, पोस्ट–गुटजोरा, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

| ग्राम | थाना नं0 | खाता नं0 | खेसरा सं0 | रकबा(एकड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| बिरहू | 239 | 37 | 4140 | 0.40 |

अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 249 दिनांक 14.03.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इस न्यायालय का पत्रांक 55 / न्या0 दिनांक 01.07.19 द्वारा उभय पक्ष से जाति एवं आवसीय प्रमाण पत्र का मांग दिनांक 15.07.19 तक जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला अधिवक्ता के माध्यम से कराया गया। उभय पक्ष द्वारा निर्धारित समय तक जाति एवं आवसीय प्रमाण पत्र जमा करने में असमर्थ रहे, जिसके कारण अनुमति देना उचित प्रतित नहीं हो रहा है।

अतः वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।